



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27371-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - **2024/2026**

मोहम्मद जावेदयाची (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्यप्रत्यर्थी (गण)

याची के अधिवक्ता : संजय बाबू केशरवानी, श्याम बाबू वैश

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान रिट याचिका याची द्वारा निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है :-

I. एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जो प्रत्यर्थी/सक्षम प्राधिकारी संख्या 2 और 3 को आदेशित कर कि वे मुकदमा अपराध संख्या 129/2025, धारा 303(2), 351(2), 352 बी.एन.एस., थाना- नगीना, जिला- बिजनौर (पुरानी धाराएं 379, 506, 504 भा.दं.सं.) में उचित और निष्पक्ष विवेचना संचालित करें और प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 को गिरफ्तार करें।

II. कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जैसा कि यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।

III. याचिका का खर्च याची के पक्ष में दिलाया जाए।"

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि याची वर्तमान मामले में प्रथम सूचनाकर्ता है और यद्यपि वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.07.2025 को पंजीकृत की गई है, फिर भी पुलिस मामले की विवेचना निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से नहीं कर रही है।
4. उपरोक्त के आलोक में, याची प्रत्यर्थी संख्या 2- पुलिस अधीक्षक, बिजनौर के समक्ष अपनी शिकायत को रेखांकित करते हुए और निष्पक्ष एवं तटस्थ विवेचना की मांग करते हुए एक आवेदन दे सकता है और यदि याची द्वारा ऐसा आवेदन दिया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 2- पुलिस अधीक्षक, बिजनौर, वर्तमान मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. उपर्युक्त आदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

के.एस.

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"